न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी डॉ. गुंजन सोनी आर.ए.एस.)

निगरानी प्र0 सं0 01/2019

1. ईमरती देवी पत्नी श्री स्व. रावतराम जाति भार्गव उम्र 65 वर्ष निवासी पूरबसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. कालुराम पुत्र श्री स्व. रावतराम जाति भार्गव उम्र 65 वर्ष निवासी पूरबसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. मैनपाल पुत्र श्री स्व. रावतराम जाति भार्गव उम्र 65 वर्ष निवासी पूरबसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. रामप्यारी पत्नी स्व. श्री पुराराम जाति भार्गव उम्र 62 वर्ष निवासी पूरबसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

– प्रार्थीगण

बनाम्

1. गोपाल पुत्र स्व. रूपाराम जाति भार्गव उम्र 50 वर्ष निवासी पूरबसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. भंवर लाल पुत्र स्व. रूपाराम जाति भार्गव उम्र 50 वर्ष निवासी पूरबसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. हनुमान पुत्र स्व. रूपाराम जाति भार्गव उम्र 50 वर्ष निवासी पूरबसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. ग्राम पंचायत पूरबसर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पुरबसर पंचायत समिति रावतसर जिला हनुमानगढ़।

– अप्रार्थीगण

5. सुभाष पुत्र श्री स्व. रावतराम जाति भार्गव उम्र 65 वर्ष निवासी पूरबसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
6. कमला पुत्री श्री स्व. रावतराम पत्नी रोहीताश जाति भार्गव उम्र 37 वर्ष निवासी छतरगढ़ जिला बीकानेर।
7. सरोज पुत्री श्री स्व. रावतराम पत्नी सुभाष जाति भार्गव उम्र 32 वर्ष निवासी छतरगढ़ जिला बीकानेर।
8. माया पुत्री श्री स्व. रावतराम पत्नी ओमप्रकाश जाति भार्गव उम्र 36 वर्ष निवासी छतरगढ़ जिला बीकानेर।

–तरतीबी गैरनिगरानीकार

ग्राम पंचायत पूरबसर द्वारा जारी पट्टे 3/28 दिनांक 26.01.1996, पट्टा संख्या 4/29 दिनाक 26.01.1996 व 5/30 दिनांक 26.01.1996 को जारी पट्ट निरस्त करने

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितिः— श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता, प्रार्थीगण स.1 ता 4
श्री कुलदीप खुड़िया अधिवक्ता, प्रार्थीगण स. 4
श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता, अप्रार्थीगण स. 1,2
श्री दलिप सोनी अधिवक्ता, अप्रार्थीगण 5,6,7

निर्णय **दिनांक : 15.07.2021**

संक्षेप में निगरानी प्रार्थी की ओर से निम्न प्रकार से हैं :—

1. निगरानीकारगण तथा अनिगरानीकारगण संख्या 1 ता 3 व तरतीबी अनिगरानीकारगण एक ही पूर्वज स्व. श्री चुनीराम के उत्तराधिकारी है। पक्षकारों के आपसी रिस्तो की वंशावली निम्नानुसार हैः—

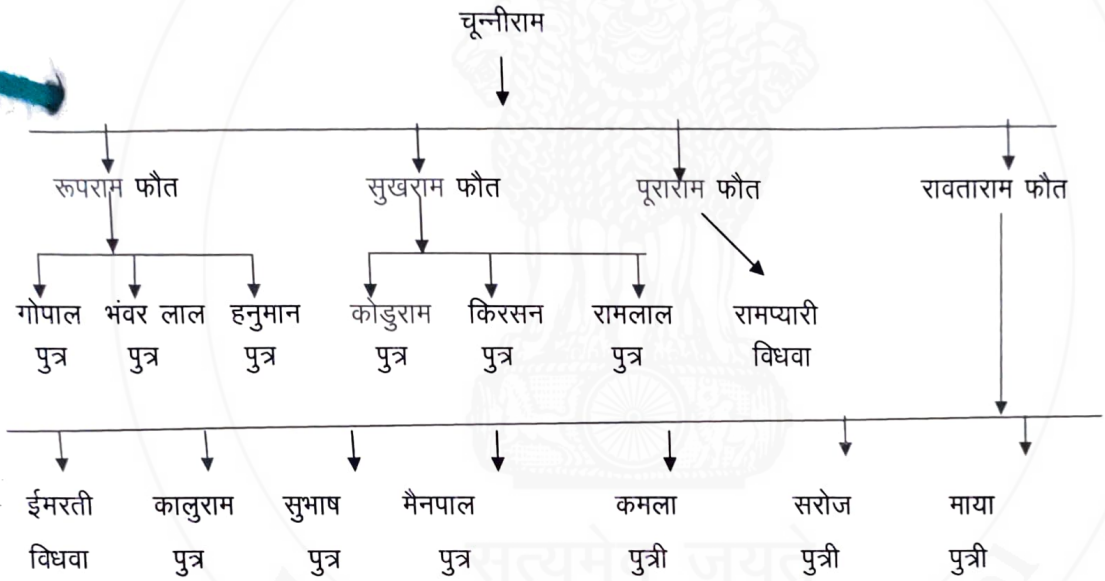

निगरानीकारगण व अनिगरानीकारगण व तरतीबी निगरानीकारगण स्व0 चुन्नीराम के पुत्रवधू, पौत्र व पौत्रीयों के रूप में वारीस है। चुन्नीराम की लगभग 40 वर्ष पहले मृत्यू हो चुकी है। स्व. श्री चून्नीराम के सभी पुत्रगणों रूपराम, सुखराम, पुराराम व रावतराम की मृत्यु हो चुकी है। स्व. श्री चुन्नीराम के स्वामित्व व कब्जाशुदा एक नोहरा ग्राम पूरबसर तहसील रावतसर में स्थित है। जिसकी नाप, आड़ौस पड़ौस व सीमाएं इस प्रकार है— उत्तर— गली आम व उसके बाद मनीराम स्वामी का मकान 220 फुट, दक्षिण— साहबराम मिरासी का मकान 220 फुट, पूर्व— सड़क आम रावतसर से पल्लु 180 फुट, पश्चिम— सोहन लाल मेघवाल का मकान 180 फुट।

2. उपरोक्त भूखण्ड श्री चुन्नीराम के जीवनकाल में उसके स्वामित्व व आधिपत्य में था तथा इसके पश्चात उक्त भूखण्ड का उपयोग उपभोग स्व0 श्री चुन्नीराम के पुत्रगण रूपराम, सुखराम, पुराराम व रावतराम तथा उनके वारीसगण करते रहे है। उक्त भूखण्ड का चुन्नीराम के चारों पुत्रों ने आपसी सहमती से विभाजन कर लिया था तथा अपने हिस्से

अतिरिक्त जिला

का उपयोग उपभोग अपने जीवनकाल में करते रहें है और इनकी मृत्यू के पश्चात इनके वारीसान अपने अपने हिस्से का उपयोग उपभोग करते रहे है।

3. उपरोक्त भूखण्ड का दक्षिण पूर्वी हिस्सा निगरानीकारगण रावतराम के हिस्से में आया जिसकी नाम पूर्व से पश्चिम 110 फिट तथा उत्तर से दक्षिण 90 फुट है। रावतराम कि मृत्यू के पश्चात उक्त हिस्से का उपयोग व उपभोग निगरानीकारगण एक लगायत सात द्वारा रावतराम के वारीस होने के नाते किया जा रहा है। उत्तरी पूर्वी हिस्सा पुराराम की विधवा रामप्यारी के हिस्से में आया है। उक्त हिस्से की नाप भी पूर्व से पश्चिम 110 फिट तथा उत्तर से दक्षिण 90 है। शेष बचा हुआ पश्चिम की और का हिस्सा स्व. रूपराम व स्व. सुखराम के हिस्से में आया हुआ है। वर्तमान में स्व. श्री पूराराम के हिस्से पर पुराराम की विधवा श्रीमति रामप्यारी का कब्जा दखल है।

4. उपरोक्त सम्पूर्ण भूखण्ड जो कि स्व0 चून्नीराम के आधिपत्य कब्जे व स्वामित्व का था उसको चार भागों में बांट कर गैरनिगरानीकार संख्या 1 ता 3 ने गैर निगरानीकार संख्या 4 ग्राम पंचायत पूरबसर के साथ मिलिभगत करके चार अलग अलग पट्टे अपने पक्ष में जारी करवा लिये जिसके विरूद्ध यह निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत हैः–

क. अनिगरानीकारगण संख्या 1 ता 3 द्वारा प्रश्नगत पटटे प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत पूरबसर के कार्यालय में जो आवेदन किये गये है उनमें वाद ग्रस्त भूमि को न तो ग्राम पंचायत के स्वामित्व की भूमि बताई है और न ही पैतृक भूमि बताई है। इस प्रकार अनिगरानीकार संख्या 1 ता 3 ने वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए पटटा प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है।

ख. अनिगरानीकारगण संख्या 1 ता 3 द्वारा पटटा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों में इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि वादग्रस्त भूखण्ड पर उनका कब्जा कितने समय से चला आ रहा है। न ही ग्राम पंचायत ने आवेदन पत्रों पर आदेश पारित कर पटटा जारी करते वक्त वादग्रस्त सम्पति पर कब्जे की अवधि बाबत कोई उल्लेख किया है। विधि अनुसार ग्राम पंचायत की भूमि पर एक निश्चित अवधि तक लगातार कब्जा होने पर ही ग्राम पंचायत पटटा जारी कर सकती है। जो इस बात को इंगित करता है कि वाद ग्रस्त सम्पति ग्राम पंचायत की भूमि न होकर पैतृक सम्पति है। पटटा जारी करने में विधि के प्रावधानों का उल्लंघन है।

ग. अनिगरानीकार स0 4 ग्राम पंचायत के द्वारा वैग, अस्पष्ट व आधारहीन तथ्यों के आधार पर पटटा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत ने अपने द्वारा पटटे जारी करने के आदेश

अतिरिक्त जिला

में यह नही बताया है कि विवादित भूमि ग्राम पंचायत के स्वामीत्व की है अथवा पटटा ग्रहितागण अनिगरानीकार संख्या 1 से 3 की पैतृक भूमि है।

घ. अनिगरानीकार संख्या 1 ता 3 ने ग्राम पंचायत के साथ दुर्भिसंधि करके पटटे जारी करवाये है। पटटा जारी करने से पूर्व सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा आपत्ति आवाहन पत्र जारी करने होते है तथा ऐसे आपति आवाहन पत्रों की प्रतियां गांव में किन्ही पांच सहजदृश्य स्थानों यथा ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट, आम चौराहा, किसी मन्दिर आदि पर चस्पा किया जाना आवश्यक है। किन्तु अनिगरानीकारगण ने परस्पर मिलिभगत करते हुए चस्पानगी किये जाने के विधि के आदेशात्मक प्रावधान की पालना नहीं की है। इसलिए प्रश्नगत पटटे निरस्त किये जाने योग्य है।

ङ. यदि वास्त में नियमानुसार आपत्ति आवाहन पत्र जारी किया जाता है तो उस स्थिति में ऐसे आवहन पत्र में पंचायत के स्वत्व की भूमि का इन्द्राज अवश्य किया जाता। ये आपत्ति आवाहन पत्र भ्रामकता, अस्पष्टता, तथा वैग तथ्यों पर आधारित है क्योंकि आवेदन पत्र व पट्टों में किसके स्वत्व की भूमि है के तथ्यों को छिपाया गया है। भूमि के स्वत्व बाबत कोई वर्णन नहीं किया गया है।

च. जिस भूखण्ड के अलग अलग प्रश्नगत चार पट्टे जारी किये गये है उसके आस पास के भूखण्ड पैतृक भूखण्ड है। ग्राम पंचायत की भूमि का कोई टुकड़ा यहा मौजूद नहीं है। ग्राम पंचायत ने अनिगरानीकार संख्या 1 ता 3 को नाजायज फायदा पहुंचाने के लिए पैतृक सम्पति के पट्ट अनिगरानीकारगण के पक्ष में जारी कर दिये है तथा स्वर्गीय स्व चुन्नीराम के अन्य उत्तराधिकारियों के हितों को नुकसान पहुचाया गया है। इसलिए विवादित पटटे निरस्त किये जाने योग्य है।

छ.राजस्थान पंचायत नियमों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्येक वर्ष तीन या अधिक सदस्यों की एक टीम गठित की जाती है। जिसके द्वारा प्रत्येक वर्ष ग्राम पंचायत की भूमि पर किये गये अतिक्रमण बाबत जांच कर रिपोर्ट संबंधित ग्राम पंचायत को दी जाती है। यदि अनिगरानीकार संख्या 1 ता 3 का विवादित भूखण्ड पर अतिक्रमण या पुराना कब्जा होता तो उस दशा में कमेटी द्वारा हर वर्ष ग्राम पंचायत में जांच के पश्चात प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में यह तथ्य अवश्य आता है कि वादग्रस्त सम्पति पर अनिगरानीकार संख्या 1 ता 3 का अतिक्रमण है लेकिन वस्तुत विवादित भूखण्ड निगरानीकारगण, अनिगरानीकारगण संख्या 1 ता 3 व चुन्नीराम के अन्य वारिसान के सयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की पैतृक भूमि है। इस कारण कमेटी की किसी रिपोर्ट में

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

यह तथ्य प्रकट नहीं होता है कि अनिगरानीकार संख्या 1 ता 3 का पंचायत की भूमि पर कोई अतिक्रमण या पुराना कब्जा हों। वस्तुत उक्त भूखण्ड ग्राम पंचायत की भूमि न होकर पैतृक भूमि है। अनिगरानीकार संख्या 1 ता 3 ने अनिगरानीकार संख्या 4 के साथ दुर्भिसंधि करके निगरानीकारण की पैतृक भूमि के पटटे जारी करवाये है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

ज. ग्राम पंचायत ने उक्त पटटे जारी करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की किसी प्रकार की पूर्वानुमति प्राप्त नही की है। विधि अनुसार विहित सीमा के क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड का कोई पटटा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत को राजस्थान ग्राम पंचायत रूल्स में वर्णित सक्षम प्राधिकारियों से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होती है।

झ. पटटा जारी करने से पूर्व आपत्ति आवाहन पत्र जारी किये गये है वे फर्जी, फैक व मिथ्या है। आपत्ति आवाहन पत्रों पर गांव के जिन व्यक्तियों के हस्ताक्षर व अगुष्ठ निशान किया जाना दर्शाया गया है वास्तव में उन व्यक्तियों द्वारा आपत्ति आवाहन पत्रों पर अपने हस्ताक्षर तथा अंगुष्ठ निशान नहीं किये गये है। तथ्यों को छिपाकर फर्जी पटटे जारी किये गये है।

ट. अनिगरानीकार संख्या 1 से 3 का वादग्रस्त भूखण्ड पर कितने वर्षो से कब्जा है? इसका उल्लेख न तो इनके द्वारा प्रार्थना पत्र में किया गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा पटटा जारी करने की सम्पूर्ण कार्यवाही में। वादग्रस्त भूखण्ड पर पर कोई निर्माण था या नहीं इस बाबत सर्वे रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया गया है और न ही आज कि तिथि में कोई निर्माण है। जारी शुदा चारों पटटे न तो पंजीकृत है और नही पटटो पर ग्राम पंचायत के सचिव के हस्ताक्षर है। जो पटटा को फर्जी होना प्रकट करता है।

5. निगरानीकार के पूर्वपुरूष स्व. श्री रावतराम द्वारा एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा व घोषणा बाबत् वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नोहर में प्रस्तुत किया हुआ था। वाद के दौरान अनिगरानीकारगण 1 से 3 ने विवादित पटटे प्रस्तुत किये जिससे पटटो के संबंध में निगरानीकारगण को जानकारी हुई। निगरानीकारगण संख्या 1 ईमरती देवी ने ग्राम पंचायत पूरबसर के पटटे जारी करने के आदेश के विरूद्ध एक अपील दिनांक 25.08.2015 को पंचायत समिति रावतसर में की थी किन्तु उक्त अपील में आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नही हुई है। उक्त वाद का निस्तारण श्रीमान न्यायालय ने दिनांक 30.11.2018 के निर्णय द्वारा कर दिया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

6\. पूर्व में इस सम्बन्ध में बिना क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में वाद चल रहा था। उक्त न्यायालय को प्रश्नगत निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.11.2018 से उक्त निगरानी प्रस्तुत करने की मियाद प्रारम्भ होती है साथ ही उक्त पटटे शुन्य दस्तावेज है। जिसको निरस्त करने के संबंध में निगरानी प्रस्तुत करने हेतु विधि में कोई निश्चित मियाद नहीं है। उक्त निगरानी अन्दर मियाद प्रस्तुत है। फिर भी मियाद में छूट करने के लिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत पुरबसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ द्वारा गोपालराम पुत्र रूघाराम के पक्ष में जारी पटटा संख्या 3/28 दिनांक 26.01.1996 व पटटा संख्या 4/29 दिनांक 26.01.1996 व भंवर लाल पुत्र रूपाराम के पक्ष में जारी पटटा कमांक 2/27 दिनांक 26.01.1996 और हनुमानराम पुत्र श्री रूपराम के पक्ष में जारी पटटा कमांक 5/0 दिनांक 26.01.1996 को निरस्त, शुन्य व प्रभावहीन घोषित किया जावें।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में निगरानी मिमों के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि चुन्नीराम के पुत्र रूपराम मे तीन पुत्रों के नाम से पटटे एक ही दिनांक को जारी किये गये। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर पूर्व में रिमाण्ड लेकिन अब तक फैसला नही हुआ है। निगरानी स्वीकार फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण स0 5,6,7,8 की और से लिखित बहस पेश कि की निगरानीकार स0 5,6,7,8 स्व0 चुन्नीराम के पुत्र रावताराम के पुत्र व पौत्रिया वारीसान है। चुन्नीराम की मृत्यु के बाद पौत्र, पौत्रिया अपने दादा की सम्पति में हक हिस्सा के हकदारी है। स्व चुन्नीराम के स्वामित्व में एक भूखण्ड है जिसका उपयोग व उपभोग गैर निगरानीकार स0 5,6,7,8 के पिता माता रावताराम व ईमरती देवी 40 वर्षो से करते आ रहे है। वर्तमान में भी काबिज है। चुन्नीराम के पुत्रगणों ने आपसी सहमति व रजामंदी से उक्त भूखण्ड का विभाजन किया था जिसमें दक्षिण पूर्वी हिस्सा गैर निगरानीकार 5,6,7,8 के पिता रावताराम के हिस्से में आया था व उत्तरी पूर्वी हिस्सा पुराराम की विधवा पत्नी रामप्यारी के हिस्से में आया। रावताराम व पूराराम के भूखण्ड का माप 110 गुणा 90 फुट है जो कायम है। शेष बचा पश्चिम का हिस्सा रूपराम व सुखराम के हिस्सों में आया जिस पर वे लोग काबिल

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

है। सम्पूर्ण भुखण्ड माप/स्थान जो कि निगरानी के क्रम सं0 3 में दर्शाया है वह स्व0 चुन्नीराम के आधिपत्य कब्जे व स्वामित्व का था जिसको गैर निगरानीकार स0 1 से 3 ने गैर निगरानीकार स0 4 ग्राम पंचायत पूरबसर के साथ मिलकर फर्जी तरीके से बिना किसी विधिक प्रकिया अपनाए फर्जी पटटे बना लिए जिसको विधिनुसार रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्टर्ड भी नहीं करवाया न ही उक्त पटटे का रिकार्ड, मिसल ग्राम पंचायत पूरबसर व पंचायत समिति रावतसर में उपलब्ध नही है। रिकार्ड पत्रावली श्रीमान के आदेशानुसार ग्राम पंचायत पूरबसर व पंचायत समिति रावतसर के विकास अधिकारी द्वारा लिखित में प्रति उत्तर जबाव श्रीमान जी को प्रस्तुत कर माना है कि उक्त गैर निगरानीकार स0 1,2,3 के कोई रिकार्ड दोनो कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी/गैरनिगरानीकार 5,6,7,8 का हक हिस्सा भी वारिसान होने कारण कानूनन प्राप्त है। गैर निगरानीकार सं0 1,2,3 ने उक्त पैतृक सम्पति के पटटे फर्जी व बिना प्रक्रिया अपनाए बनवा लिए। प्रार्थी/गैरनिगरानीकार 5,6,7,8 का हक हिस्सा भी जायज वारिसान होने के कारण विधिनुसार बनता है। जिसके बाबत हालही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया है कि किसी भी पैतृक सम्पति में पुत्र पुत्रियों का बराबर हिस्सा होता है। गैर निगरानीकार ने उन्हें बिना बताए उक्त पैतृक सम्पति के फर्जी पटटे बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए बना लिए जो कि विधिविरूद्ध होने की वजह से खारिज किये जाने योग्य है। पटटा सं0 03/28, 4/29, 2/27 व 5/30 दिनांक 26.01.1996 को जारी पटटो को निरस्त शुन्य प्रभावहीन घोषित किया जावें।

अप्रार्थी स 1 व 2 की और से अधिवक्ता ने दस्तावेजों की सूची पेश की जिसके साथ इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.02.2008 की प्रमाणित प्रति पेश की।

बहस पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो को अवलोकन किया। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 26.02.2008 को निर्णय पारित कर अधिनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया गया था। अतः निगरानी स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारीज की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

यह निर्णय आज दिनांक : 15.07.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। शामिल पत्रावली रहें।

(डॉ.गुंजन सोनी आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)